रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-90/2024/180/22-2-2024-17(109)/2024
लखनऊ : दिनांक: 18 अगस्त, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018,दिनांक 28.07.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 व 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2024) के अवसर पर जिला कारागार, **सिद्धार्थनगर** में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इब्राहिम (बंदी संख्या-534/2009) पुत्र श्री मोहीउद्दीन, निवासी-रूदलपुरवा मौजा गौरवा कला, थाना-कटरा बाजार, जनपद-गोण्डा, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-586/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,307/149,452,506(2),147,148 व 3(1) यू0पी0जी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर अधिनियम, फैजाबाद के आदेश दिनांक 15.03.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 26.01.2024 तक 16 वर्ष 10 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार **द्विवेदी**
उप सचिव।

संख्या-90/2024/180(1)/22-2-2024 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-गोण्डा।
3- पुलिस अधीक्षक, जनपद-गोण्डा।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, **सिद्धार्थनगर**।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को क्रिमिनल अपील सं0-1151/2008 इब्राहिम व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 23.04.2024 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in